न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- /1/2016-जिला छतरपुर

दुर्गा तनय चईया धोबी निवासी वार्ड-13 तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर म0प्र0

-----आवेदक

बनाम

1- रघुनाथ तनय घपला यादव

2- मुट्का तनय घपला

3- राजेश तनय रघुराज यादव

4- रघुनाथ तनय मुट्का यादव

5- बडी बहू पत्नि दुर्गा समस्त निवासी- कंठी मोहल्ला, लवकुश नगर जिला छतरपुर म0प्र0

-----अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरुद्ध आदेश तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक-53-अ-12-2014-15 आदेश दिनांक 03.08. 2015 जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 16.11.2016 को प्राप्त हुई।

श्रीमान् जी,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं :-

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान क्षेत्राधिकार वहाय होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—3932—एक/2016 जिला—छतरपुर

दुर्गा विरूद्ध रघुनाथ आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11—03—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3. यह निगरानी तहसील लवकुशनगर, जिला—छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 53/अ—12/2014—15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 03—08—2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 08—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। 11.3.19 (आर.के. जैन) सदस्य	